दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांक 27 फरवरी 2018 पूर्वाहन 10:00 बजे, राज निवास, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल,
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री उदय प्रताप सिंह

सदस्य

1.श्री के विनायक राव
वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

2. श्री जयेश कुमार,
अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा.

3.श्री विजेंद्र गुप्ता
विधायक एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष

4. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
5. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
6. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

7. श्रीमती वीना विरमानी,
निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

<u>विशिष्ट अतिथिगण</u>

1.श्री अंशु प्रकाश,
मुख्य सचिव, रा. रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार,

2. श्रीमती रेनू शर्मा,
प्रधान सचिव(यू डी), रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

3. श्री पुनीत गोयल,
आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम,

4. डॉ. रणबीर सिंह,
आयुक्त,पूर्वी दिल्ली नगर निगम,

5 श्री मधुप व्यास,
आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम,

6. श्री राजीव वर्मा, प्रधान आयुक्त (एल डी, एल एम, एल पी), दि.वि.प्रा.

7. श्री जे.पी. अग्रवाल, प्रधान आयुक्त
(आवास, सी डब्लू जी प्रणाली एवं पीएमएवाई), दि.वि.प्रा.

8.श्री श्रीपाल (कार्मिक, उद्यान एवं एल एस), दि. वि. प्रा.।

9.श्री एस.सुरेंद्र,
अपर मुख्य योजनाकर्ता, नगर योजना संगठन

<u>उपराज्यपाल सचिवालय</u>

1. श्री विजय कुमार, उपराज्यपाल,
दिल्ली के प्रधान सचिव

2. श्रीमती स्वाति शर्मा,
उपराज्यपाल, दिल्ली की विशेष सचिव

3. श्री अनूप ठाकुर,
उपराज्यपाल, दिल्ली के निजी सचिव

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/ अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशिष्ट अतिथिगण और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद संख्या 04/2018</u>

दिनांक 02.02.2018 को राज निवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
एफ. 2(2)2018/एम सी /डीडीए

दिनांक 02.02.2018 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के यथाप्रचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>मद संख्या 05/2018</u>

दि.मु.यो. -2021 में दुकान एवं आवासीय प्लॉटों के विकास नियंत्रण मानदंडों में प्रस्तावित संशोधन
एफ 3(10)2014/एमपी

1. एजेंडा के पैरा 2.5 में शामिल प्रस्ताव के लिए, आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करते हुए 03 दिनों की अवधि के लिए एक सार्वजनिक नोटिस तुरंत जारी किया जाए।
2. एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव को एजेंडा के पैरा 3.0 में निहित अनुवर्ती कार्रवाई के अनुसार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को तुरंत भेजा जाए।
3. इसके अतिरिक्त, एजेंडा मद के पैरा 2.2 के तहत प्रस्तावित विनियामक उपायों के संदर्भ में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित संशोधनों के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दी:
   i. इस बिंदु (पांचवे बुलेट) के अनुक्रम में, "रिहायशी क्षेत्रों/सर्विस लेन की ओर दुकान- एवं -आवासीय प्लॉटों/ परिसरों में प्रतिबंधित प्रवेश/ निकास पर" निम्नलिखित को जोड़ा जाए, "हालांकि, वाहनों को केवल सामने की ओर से प्रतिबंधित किया जाना है"

ii. बिंदु (आठवाँ बुलेट) के अनुक्रम में "रेस्तरां"शब्द में, रेस्तरां, क्लब और पब...... अधिसूचना की तारीख से "शराब की दुकान,बार, डिस्को" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. प्राधिकरण सदस्यों ने देखा कि समान क्षेत्रों और समान उपयोगों के लिए, परिवर्तन/अतिरिक्त एफएआर के उपयोग के प्रभार भी समान होने चाहिए। सदस्यों की टिप्पणियों को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उनके विचारार्थ संप्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

<u>मद संख्या 6/2018</u>

दि.मु.यो.-2021 में संशोधन के रूप में -गैर-अनुरूप क्षेत्रों में मौजूद गोडाउन क्लस्टर्स के पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित मानदंड।
एफ. 3(84)2010/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया था:

प्रस्ताव के पैरा बी के तहत शब्द अर्थात "................ **पैरा सी (एच)** के तहत तालिका में दिए गए विकास नियंत्रण मानदंड द्वारा शासित किए जाएंगे,.......... के रूप में पढ़ा जाए, **पैरा सी (आई)**............. के तहत तालिका में दिए गए विकास नियंत्रण मानदंडों द्वारा................. शासित किए जाएंगे।

इस प्रस्ताव को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को विचारार्थ और अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए तुरंत भेजा जाए।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।